

प्रत्येक समाज और समुदाय अपने अंदर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक तथा नैतिक मापदण्ड और मूल्य निर्धारित करता है। इनका ठीक प्रकार पालन करने के लिए वह कानून, आचार-संहिता तथा विधान तैयार करता है। निर्धारित मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है उसे समाज विरोधी व्यवहार अथवा अपराध माना जाता है। इस व्यवहार के फलस्वरूप या तो समाज में सम्मिलित सदस्यों या संपत्ति को हानि पहुँचती है। समाज द्वारा प्रकार के समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों से बचने के लिए कानून की शरण लेता है और प्रायः ऐसे व्यक्ति बंदीगृह के शीशवों के अन्दर रखे जाते हैं। इस प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार और अपराधी प्रवृत्ति वयस्कों में ही नहीं पाई जाती बल्कि छोटे-छोटे बच्चे और किशोर भी इस सामाजिक बुराई के शिकार होते हुए दिरवाई करते हैं। इन अल्पवयस्क किशोरों और बालकों को किशोर अपराधी या बाल अपराधी (Juvenile delinquents) के नाम से संबोधित किया जाता है। बाल-अपराधी निश्चित रूप से अल्पवयस्क अपराधी होते हैं। वे कानून का उल्लंघन करते हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, धोखा देना, जब काटना इत्यादि करना, डाका डालना, संपत्ति को आग लगाना अथवा किसी और पर हानि पहुँचाना, मार-पीट करना, शराब आदि मादक द्रव्यों का सेवन करना, भीख माँगना, अपहरण बलात्कार और दुर्गन्ध यौन सम्बन्धी अपराध करना आदि समाज विरोधी कामों में प्रवृत्त होते हैं।